

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

अधिशाली निदेशक,
उद्योग बन्धु,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-7

लखनऊ दिनांक 05 मई, 2015

विषय- सर्व श्री के0के0 ऑयरन इण्डस्ट्रीज, भूखण्ड संख्या-एस.78, लोनी रोड, गाजियाबाद के पक्ष में पट्टा विलेख निष्पादन कराने हेतु स्टाम्प शुल्क की देयता के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 30ब0/80/275/2015-16/बी0पी0एस0, दिनांक 27 अप्रैल, 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मे0 के0के0 ऑयरन इण्डस्ट्रीज, भूखण्ड संख्या- एस. 78, लोनी रोड गाजियाबाद के पक्ष में पट्टा विलेख निष्पादित कराये जाने हेतु स्टाम्प शुल्क की देयता के संबंध में समस्या के समाधान हेतु अनुरोध किया गया है।

2. उपरोक्त के क्रम में यह अवगत कराना है कि कर एवं निबंधन अनुभाग-7 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-क0नि0-7-79/11-2012-312(98)-2012, दिनांक 05-12-2012 के परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक विकास विभाग के शासनादेश संख्या- 141/77-6-13-15(एम05) दिनांक 04.06.2013 के प्रस्तर-4 में उल्लिखित शर्तों के अधीन यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा मूल आवंटी के पक्ष में अथवा यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा मूल आवंटी से अन्य आवंटी के पक्ष में हस्तांतरण, दोनों ही प्रकरणों में, निष्पादित किये जाने वाले विलेख पर स्टाम्प शुल्क से यथा नियत छूट अनुमन्य होगी।

3. चूँकि यह प्रकरण हस्तांतरण का प्रकरण है, अतः उद्योग बन्धु द्वारा उपलब्ध कराये गये विभिन्न प्रकरणों के परिप्रेक्ष्य में स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग द्वारा समय-समय पर उपलब्ध कराये स्पष्टीकरण के अनुसार प्रश्नगत विलेख पर तत्क्षेत्र के कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर पर स्टाम्प शुल्क देय होगा। इस देयता में जितनी छूट प्रस्तर-2 में उल्लिखित अधिसूचना दिनांक 5.12.2012 के अनुरूप अनुमन्य है, उसे नियत शर्तों के अधीन उपलब्ध कराते हुए पट्टा विलेख निष्पादित करा लिये जाने में कोई कठिनाई नहीं है।

4. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त प्राविधानों के अनुरूप अन्य समस्त समरूप प्रकरणों में भी विलेखों को नियमानुसार छूट प्रदान करते हुए बिना किसी विलम्ब के निबंधन कार्यालय में पंजीकृत कराना सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम, कानपुर।
- 2- महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- श्री के0के0 गुप्ता, अध्यक्ष के0के0 ऑयरन इण्डस्ट्रीज, शिवपुर, वाराणसी।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।